जल सुरक्षा एवं जल कूटनीति

साक्षात्कार

उत्तम सिन्हा से **रुचि श्री** की बातचीत

जल ही जीवन है। जल राजनीति का अस्त्र भी हो सकता है और कूटनीति का अहम पहलू भी। गंगाजल से शुरू हुई राजनीति एक पहलू तो है ही, पाकिस्तान और चीन द्वारा जल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते देखना चिन्ताजनक भी है। जानते हैं जल कूटनीति के जानकार उत्तम सिन्हा इसे कैसे देखते हैं?

लेखिका श्री जानकी देवी कॉलेज, डीयू में राजनीति शास्त्र पढ़ाती हैं।
+919818766821
jnuruchi@gmail.com

जल सुरक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? इसका मनुष्य एवं राष्ट्र राज्य पर किस तरह का प्रभाव है?

बुनियादी वस्तुओं मसलन जल, भोजन एवं हवा इत्यादि पर प्रतिभूतिकरण का मुद्दा काफी जटिल है पर अमूमन हमलोग इनकी आवश्यकता और तात्कालिकता को नकार नहीं सकते। व्यापक तौर पर जल सुरक्षा से तात्पर्य है अधिकतम जनसँख्या के लिए यथोचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण जल की सतत पहुँच। जल तक पहुँच (एक्सेस) एवं इसका उपयोग (यूसेज) किसी भी देश और वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए बेहद आवश्यक है।

दक्षिण एशिया के सन्दर्भ में आप इस अवधारणा को किस तरह देखेंगे ?

दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए जल सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। नदियाँ किसी भी क्षेत्र में मीठे जल का स्त्रोत हैं प्रमुख और अधिकांश बड़ी नदियाँ एक से अधिक देश से होकर गुजरती हैं। ऐसे में उनका जल दक्षिण एशिया के देशों को जोड़ने का एक माध्यम बन जाता है। यह प्रान्त एक जलीय या हाइड्रोलॉजिकल ईकाई है जिसे आजकल जलीय पडोसी या रिवेराईन नेबरहूड कहा जाने लगा है। नदियाँ देशों के बीच रिश्ते सुधारने का माध्यम बन सकती हैं।

जल के इर्द गिर्द बढती असुरक्षा को लेकर भारत के समक्ष किस तरह की प्रमुख चुनौतियाँ हैं?

भारत के समक्ष जल सम्बन्धी बहुआयामी समस्याएँ हैं। इसमें गुणवत्ता, उपलब्धता और विषम बँटवारे का सवाल अहम् है। जल के लिए बढती माँग इसकी उपलब्धता पर दबाव को बढ़ावा देता है। अनियोजित शहरीकरण तथा बढ़ता औद्योगीकरण जल की घटती गुणवत्ता को लगातार कम कर रहे हैं। साथ ही जलवायु और मानसून की अस्थिरता ने जल समस्या को और भी गम्भीर बना दिया है। कुछ क्षेत्रों जैसे खेती इत्यादि में कई बार जल के नियोजन में काफी लापरवाही देखने को मिलती है। भारत में जल को लेकर अस्तित्व की सांस्कृतिक और सभ्यतामूलक समझ के होते हुए भी ऐसी स्थिति का होना एक तरह की विडम्बना ही है।

अपने एक लेख में आप चीन को जलप्रेरित साम्राज्य या ह्यद्रौलिक एम्पायर बताया है। कृपया इसके बारे में थोडा

विस्तार से बताएँ और इसके नकारात्मक तथा सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट करें।

ह्यूड्रोलिक एम्पायर की बात सबसे पहले जर्मनी में जन्मे व अमेरिका में बसे इतिहासकार कार्ल वित्फोगेल ने की थी। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार बताया कि विश्व की अधिकांश सभ्यताएँ सिंचाई पर आधारित खेती के इर्द गिर्द ही पनपी। पर समय के साथ इनमे से कई का विनाश सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जल का नियन्त्रण केन्द्रीकृत होता गया। चीन आज भी तिब्बत से निकलने वाली एशिया के अधिकांश ताकतवर नदियों को नियन्त्रित कर रहा है। चीन का अपने नदीतट पर स्थित अन्य देशों के साथ जल वितरण को लेकर कोई व्यवस्था या अनुबन्ध नहीं है। ऐसे राजनीतिक एवं कूटनीतिक माहौल में चीन अन्य देशों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए पानी को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता है।

क्या आप मानते हैं कि भारत को भी ऐसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए? यदि हाँ तो इसके लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है?

चीन का रास्ता भारत के स्वभाव से बहुत भिन्न है। उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण दोनों ही देशों को जल आधिपत्य के लिए जाना जाता है। पर भारत को एक पोसिटिव हेजेमोन की तरह देखा जा सकता है। एक जिम्मेदार देश की तरह इसने अपने लोअर रैपेरियन पड़ोसियों अर्थात पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जल वितरण सम्बन्धी मसौदे कर रखे हैं। नेपाल और भूटान के साथ नदी विकास को लेकर साझी योजनायें हैं। ऐसी चीजें अन्तर्राष्ट्रीय सक्मंध्नो में अमूमन देखने को नहीं मिलती है।

जल के वितरण को लेकर भारत का अपने पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध को आप किस तरह देखते हैं?

बेहद सकारात्मक नदियों के जल बँटवारे को लेकर इस क्षेत्र का सफल इतिहास रहा है। भारत पाक विभाजन और सीमा विवाद के कारन इसे ज्यादा महत्त्व नहीं मिल पाता। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी और बांग्लादेश के साथ 1996 में गंगेज वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया। दोनों ही देशों के साथ रिश्तों में उतर चढाव के बावजूद ये दोनों ही मसौदे भारत के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण अभी भी कारगर हैं।

नमामि गंगे परियोजना के परिप्रेक्ष्य में आप भारत की जल कूटनीति में किस तरह का बदलाव देखते हैं?

नदियों की सफाई में कई मुद्दे को सामने लाता है खासकर उन्हें पुनर्जीवित करने का। नदियाँ जटिल जीव हैं और कहा जाता है उन्हें साफ करने की क्रिया में खुद नीतियों की सफाई की भी सम्भावना है। सफाई-पुनर्जीवन के साथ ही अपस्ट्रीम फ्लो मैनेजमेंट के लिए बेसिन मैनेजमेंट एप्रोच को अपनाने की जरूरत है जिसके लिए राज्यों को साथ मिलकर काम करना होगा।

भारत के सन्दर्भ में जल के सूक्ष्म एवं वृहत राजनीति के बीच अन्तर्संबधों पर प्रकाश डालें।

जल के सूक्ष्म एवं वृहत राजनीति को अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। पानी की उपलब्धता और किसे कितना पानी मिल रहा है, ये हमेशा ही विवाद के मुद्दे रहते हैं, चाहे वो दो पडोसी राज्य हो या देश। कभी उनके क्षेत्रफल को लेकर तो कभी उपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम होने को लेकर विवाद होते रहते हैं।

जल पर हुए कई अध्ययन संघर्ष पर अधिक बल देते हैं। क्या आपको लगता है कि दरअसल जल में शांति की भी सम्भावना है पर उस पहलू को कम महत्त्व दिया जाता है?

जल युद्ध को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। अराजक वैश्विक व्यवस्था में इसे नाटकीय मोड़ के तौर पर देखा जा सकता है। इतिहास गवाह है कि देशों के बीच सबसे अधिक संधियाँ शायद नदियों के जल बँटवारे को लेकर हुए हैं। हालाँकि युद्ध के नहीं होने का मतलब यह नहीं कि देशों के बीच तनाव जैसी स्थिति न हो। आज जरूरत है कि सभी देश अपने जल कूटनीति को लेकर सचेत हों।

विगत कुछ समय में जल के सांस्कृतिक पहलू को अधिक उजागर किया जा रहा है। आप इसे भारत की जल कूटनीति के सन्दर्भ में किस तरह देखते हैं?

जल के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक जुडाव एक तरह के जन मानसिकता को प्रदर्शित करता है जिसमे पानी को पवित्र होने के साथ आरोग्यात्मक भी माना गया है। भारत में नदियों के सांस्कृतिक स्वरुप को अधिक महत्त्व दिया गया है जबकि जरूरत है कि नागरिकों के द्वारा अधिकतम उपयोग के मद्देनजर इनका विकास किया जाए। भारत में शहरों की बढती जनसँख्या के कारण ऐसा करना बहुत जरूरी है। एक बडे फलक पर, आने वाले समय में नदियों पर सांस्कृतिक और आर्थिक कूटनीति का महत्त्व बढ़ता जान पड़ता है। एशिया की कई नदियाँ जैसे गंगा और मेकोंग सभ्यतामूलक हैं। 2000 इसवी में हुआ मेकोंग-गंगा सहयोग एक तरह से नदियों के माध्यम से अन्य मुद्दों जैसे शिक्षा, संस्कृति एवं आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए है। देशों के सांस्कृतिक जुडाव के साथ यह व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा देता है। इसी तरह गंगा-मेकोंग-ब्रह्मपुत्र सहयोग की योजना बननी चाहिए ताकि बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान एक प्रान्त की तरह साथ आ पायें।

जैसा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत को जल के मामले में आधिपत्य जमाने वाला देश या वाटर हेजेमोन बताते हैं, क्या आप इनसे सहमत है। जल वितरण को लेकर इन तीनों देशों के बीच सम्बन्ध को आप किस तरह देखते हैं?

दोनों ही देश भारत के लोअर रैपेरियन देश हैं। ऐसे देशों को हमेशा ही एक तरह का खतरा महसूस होता है और वे अपस्ट्रीम देशों असुरक्षित महसूस करते है। कई बार ये खतरे जायज होते हैं पर कई बार राजनीतिक सम्बन्धों की अनिश्चितता भी ऐसी स्थिति पैदा करता है। भारत ने दोनों ही देशों के साथ जल बँटवारे को लेकर मसौदे बना रखे हैं इसलिए भारत को वाटर हेजेमोन की संज्ञा देना एक अर्थ में सही नहीं है। इस क्षेत्र में प्रभावशाली देश होने के नाते भारत को हमेशा ही अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिए प्रयासरत रहना होगा।

कौन सी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ जल सम्बन्धी मामलों में और खासकर जल वितरण को लेकर देशों के बीच संवाद स्थापित करने में मदद करते हैं?

इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन, तथा संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल लॉ कमीशन जल सम्बन्धी कानून पर काम करने वाली प्रमुख संस्थाएँ हैं। इनके बदौलत कुछ आधारभूत जल सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय कानून मसलन हेलसिंकी और बर्लिन नियम बन पाए हैं। हाल ही में 17 अगस्त 2014 को 1997 में बना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नविगेशनल यूसेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस कार्यकारी हो पाया है। ❑